सोशल मीडिया पत्र संख्याः- 497/प्रेसनोट/2020 सेल

जनपद

आजमगढ़

दिनांकः- 14 नवम्बर 2020

प्रेस-विज्ञप्ति थाना सिधारी

3 किलो 600 ग्राम गांजा के साथ अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 13.11.020 को विरष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ सुधीर कुमार सिंह द्वारा वांछित , इनामिया अभियुक्तो की गिरफ्तारी हेतु चलाये गये अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक नगर पंकज कुमार पाण्डेय व क्षेत्राधिकारी डा० राजेश तिवारी के कुशल निर्देशन में प्रभारी निरीक्षक विनय कुमार मिश्र के नेतृत्व मे उ.नि. जाफर खान मय हमराह के दिनांक 13.11.2020 को क्षेत्र में भ्रमणशील थे कि जरिये मुखबिर सूचना मिली कि एक व्यक्ति पैकौली गाँव की तरफ से रेलवे क्रासिंग होकर अवैध गांजा के साथ आने वाला है मुखबिर की बात का विश्वास करके पुलिस टीम पैकौली गाँव मय मुखबीर के पैकौली गाँव से प हले रेलवे क्रासिंग के पास मकान के आड़ लेकर उक्त व्यक्ति का इंतजार करने लगे कि थोड़ी देर मे एक व्यक्ति पैदल आता हुआ दिखाई दिया कि मुखबीर की इशारे पर घेरकर समय करीब 21.00 बजे पकड़ लिया गया। पकड़े गये व्यक्ति का नाम पता पूछते हुए जामा तलाशी लिया गया तो अपना नाम दुर्गा जायसवाल पुत्र श्रीचन्द जायसवाल सा 0 शाहगढ़ थाना सिधारी आजमगढ़ बताया तथा जामा तलाशी लिया गया तो अभि युक्त के कब्जे से 3 किग्रा 600 ग्राम गांजा बरामद हुआ । गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ०सं0 200/20 धारा 8/20 स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम,1985 पंजीकृत कर चालान माननीय न्यायलय किया जा रहा है।

पूछताछ का विवरण —अभियुक्त दुर्गा जायसवाल पुत्र श्रीचन्द जायसवाल सा 0 शाहगढ़ थाना सिधारी आजमगढ़ पुछताछ पर बताया गया कि साहब गलती हो गयी। माफ कर दीजिए गरीब आदमी हुँ झोले मे गांजा लिया हूँ घूम फिर कर बेचकर परिवार का जीवकोपार्जन करता हूँ।

गिरफ्तार अभियुक्त –

दुर्गा जायसवाल पुत्र श्रीचन्द जायसवाल सा० शाहगढ़ थाना सिधारी आजमगढ़

बरामदगी -

03 किया 600 ग्राम अवैध गांजा

पंजीकृत अभियोग –

मु0अ0सं0 200/20 धारा 8/20 स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम,1985 थाना सिधारी

गिरफ्तारी करने वाली टीम

- 1. उ0नि0 जाफर खान थाना सिधारी आजमगढ़
- 2. का0 अभिमित तिवारी थाना सिधारी आजमगढ़
- 3. का0 नीलेश सिंह